न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 133 / 2022

प्रार्थीगण :–

1. वालाराम पुत्र निम्बाराम
2. लालाराम पुत्र निम्बाराम
3. गोवाराम पुत्र निम्बाराम
4. दानाराम पुत्र निम्बाराम
5. प्रभुराम पुत्र निम्बाराम
6. दर्गी पत्नी निम्बाराम
   जाति कलबी निवासी जूनी उन्दरी तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. जोगा पुत्र पेमा
2. आसू पुत्र करना
3. वागा पुत्र करना
4. मंगला पुत्र करना
5. राणा पुत्र करना जातियान रबारी
6. भोजा पुत्र गोमा
7. दला पुत्र गोमा जातियान जाट
   निवासी जूनी उन्दरी तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी / नौखड़ा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण – एकतरफा

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 11.10.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार [illegible] 2071 [illegible] 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा जूनी उन्दरी के खाते खसरा नम्बर 375 [illegible] रकबा 8. 2637 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:56:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखडा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा जूनी उन्दरी के खेत खसरा नम्बर 375/174 रकबा 8.2637 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखडा को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखडा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक ...11/10/... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:55:38 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी